

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

SENT BY E-MAIL.

क्रमांक-8 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 29.01.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर ✓ सुश्री शिखा चतुर्वेदी	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. माह जनवरी- फरवरी-मार्च 2026 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (उक्त क्षेत्राधिकार की अवधि के संबंध में अन्य कार्यविभाजन आदेश जारी न होने की दशा में उक्त क्षेत्राधिकार आगामी अवधि के लिए इसी न्यायालय को निरंतर जारी रहेगा।) 3. मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 4. ऐसी सिविल कार्यवाहियां जिनके विचारण हेतु अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

501

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 29.01.2026

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला स्थापना सागर।
02. ऑब्जेक्शन क्लर्क, पंजीयन अनुभाग सागर।
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

0/1

28/01/2026